

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा भागतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी<sup>1</sup> को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 40 सरकारी कम्पनियों और तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है। इस प्रतिवेदन में 43 पीएसयूज के कार्यकलाप पर एक परिचय अध्याय सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात्, इस प्रतिवेदन को दो भागों में विभाजित किया गया है: भाग-I ऊर्जा क्षेत्र की 15 कम्पनियों के प्रदर्शन के विश्लेषण से संबंधित है। राजस्थान सरकार (जीओआर) की ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है क्योंकि इन कंपनियों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश ₹ 117215.41 करोड़ रहा। ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2017-18 के दौरान कुल बजटीय सहायता का 95.20 प्रतिशत (₹ 24626.03 करोड़) प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में पूँजी का योगदान मुख्य रूप से पूँजीगत निवेश एवं विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु किया गया। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने वर्ष के दौरान ₹ 2750.85 करोड़ का लाभ कमाया। वर्ष के दौरान सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, चार पीएसयूज ने ₹ 243.51 करोड़ की हानि वहन की है एवं चार पीएसयूज ने मामूली हानि वहन की है। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवेदन के भाग-I में, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन और इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणाम (एक निष्पादन लेखापरीक्षा और पाँच अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद) प्रस्तुत किए हैं।

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

4. प्रतिवेदन का भाग-II 28 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक नियमों सहित) के प्रदर्शन के विवरण से संबंधित है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2017-18 में ₹ 929.70 करोड़ की हानि बहन की। इस भाग में रीको लिमिटेड<sup>2</sup> से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल है।
5. इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा आक्षेपों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2017-18 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2018 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।
6. लेखापरीक्षा, भारत के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

---

2 रीको लिमिटेड से अभिप्राय राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश नियम लिमिटेड।